भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2287
12 फरवरी, 2026 को उत्तर देने के लिए

महाराष्ट्र में कोल्ड स्टोरेज और फसल कटाई के बाद का बुनियादी ढांचा

†2287. श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटीलः
श्री संजय दिना पाटीलः
श्रीमती सुप्रिया सुलेः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या महाराष्ट्र में विशेष रूप से प्रमुख बागवानी और कृषि क्षेत्रों में कोल्ड स्टोरेज और फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे की अपार संभावनाओं के बावजूद किसानों को पर्याप्त प्रोत्साहन और संस्थागत समर्थन नहीं मिल पा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त कोल्ड स्टोरेज, ग्रेडिंग और पैकेजिंग हब स्थापित करने में असमर्थ रही है जिसके कारण फसल कटाई के बाद नुकसान होता है और खराब होने वाली उपज की औने-पौने दामों पर बिक्री करनी पड़ती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या खाद्य प्रसंस्करण और कोल्ड-चेन संबंधी योजनाओं का लाभ मुख्य रूप से बड़े उद्योगपतियों और संगठित उद्यमियों को मिलता है जिससे छोटे और सीमांत किसान उपेक्षित रह जाते हैं;
(घ) यदि हां, तो ऐसे प्रतिकूल कार्यान्वयन और किसान स्तर पर कम भागीदारी के क्या कारण हैं; और
(ङ) यदि नहीं, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में सहायता प्राप्त किसानों की जिला-वार संख्या कितनी है और प्रत्येक योजना के तहत प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्यमंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) से (ङ): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) महाराष्ट्र राज्य सहित देश भर में खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं की स्थापना की सहायता करने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की अम्ब्रेला योजना "प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई)" का कार्यान्वयन कर रहा है। घटक योजनाओं यथा (i) एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना (शीत श्रृंखला योजना), (ii) कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना सृजन (एपीसी योजना) और (iii) ऑपरेशन ग्रीन्स (ओजी योजना) - पीएमकेएसवाई के दीर्घकालिक अन्तःक्षेप के अंतर्गत शीत भंडारण और फसलोत्तर अवसंरचना को एकीकृत खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं में घटकों के रूप में सहायता दी जाती है। तथापि, ये घटक योजनाएँ स्टैंडअलोन शीत भंडारण और फसलोत्तर अवसंरचना सुविधाओं की स्थापना में सहायता नहीं करती हैं। पीएमकेएसवाई की उपरोक्त घटक योजनाएं मांग आधारित हैं और समय-समय पर खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं की स्थापना के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। देश भर के किसानों सहित कोई भी पात्र उद्यमी (महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों सहित) जब भी अभिरुचि की अभिव्यक्ति जारी हो आवेदन कर सकता है और पीएमकेएसवाई की किसी भी घटक योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकता है।

एमओएफपीआई महाराष्ट्र राज्य सहित पूरे देश में नए खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना /उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र प्रायोजित "प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना" भी कार्यान्वित कर रहा है। यह योजना मांग आधारित है और ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के असंगठित क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना और इस क्षेत्र के औपचारिकीकरण को बढ़ावा देना है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग देश में बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए बागवानी के एकीकृत विकास मिशन (एमआईडीएच) का कार्यान्वयन कर रहा है। एमआईडीएच के अंतर्गत, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त वार्षिक कार्य योजना (एएपी) के आधार पर पैक हाउस, एकीकृत पैक हाउस, कोल्ड स्टोरेज, रीफर ट्रांसपोर्ट, रिपनिंग चैंबर आदि की स्थापना सहित विभिन्न फसलोत्तर प्रबंधन अवसंरचना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उनकी आवश्यकता, क्षमता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर वार्षिक कार्य योजना तैयार की जाती हैं। यह योजना मांग/उद्यमी आधारित है और राज्य बागवानी मिशन (एसएचएम) के माध्यम से वित्तीय सहायता क्रेडिट लिंक्ड बैक एंड सब्सिडी के रूप में प्रदान की जाती है, जो सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत का 35% की दर से और पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों, जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) और अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट विलेजेज़, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप द्वीपों के मामले में संबंधित परियोजना लागत का 50% की दर से प्रदान की जाती है। यह योजना मांग आधारित है और महाराष्ट्र राज्य सहित पूरे देश में कार्यान्वित्त की जा रही है। पिछले तीन वर्षों, वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक के दौरान योजना के अंतर्गत 353 शीत भण्डारणों को स्वीकृति दी गई है, जिससे महाराष्ट्र राज्य में 17.03 लाख मीट्रिक टन की शीत भण्डारण क्षमता का सृजन हुआ है।

इसके अलावा, डीए एंड एफडब्ल्यू के अंतर्गत राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) (i) किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक बेहतर विकल्प के रूप में "बागवानी फसलों के उत्पादन और फसलोत्तर प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास" को कार्यान्वित्त कर रहा है, जिसमें बागवानी क्षेत्र में उत्पादन संबंधित परियोजनाएं, फसलोत्तर प्रबंधन (पीएचएम) यथा पैक हाउस, राईपनिंग चैंबर, रिफर वैन, खुदरा आउटलेट, प्री-कूलिंग इकाइयां, प्राथमिक प्रसंस्करण आदि से संबंधित इकाइयां स्थापित करने के लिए बैक-एंड सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एमआईडीएच के अंतर्गत निर्धारित लागत मानदंडों के अधीन, परियोजना लागत के 35% से 50% की दर से क्रेडिट-लिंक बैक-एंड सब्सिडी प्रदान की जाती है। यह योजना मांग आधारित है और महाराष्ट्र राज्य सहित पूरे देश में कार्यान्वित्त की जा रही है। पिछले तीन वर्षों, वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक के दौरान योजना के अंतर्गत 78.69 करोड़ रुपये की सब्सिडी के साथ 363 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है।
(ii) इस योजना के अंतर्गत**,** शीत भंडारण और बागवानी उत्पादों के लिए भंडारण के निर्माण/ विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी**,** सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की पूंजी लागत का 35% की दर से और पूर्वोत्तर, पहाड़ी राज्यों और अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में 50% की दर पर क्रेडिट लिंक्ड बैक-एंड सब्सिडी 5000 मीट्रिक टन से अधिक और 20000 मीट्रिक टन तक शीत भंडारण क्षमता के लिए शीत भंडारण और सीए स्टोर के निर्माण / विस्तार / आधुनिकीकरण के लिए, विभिन्न आकारों / प्रकार के शीत भंडारण / प्याज भंडारण के लिए निर्धारित लागत मानदंडों के अनुसार स्वीकृत की जाती है। यह योजना मांग आधारित है और महाराष्ट्र राज्य सहित पूरे देश में कार्यान्वित्त की जा रही है। पिछले तीन वर्षों, वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक के दौरान योजना के अंतर्गत 36 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है, जिससे महाराष्ट्र राज्य में 1.90 लाख मीट्रिक टन की शीत भंडारण क्षमता का सृजन हुआ है।

पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता (खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार के अंतर्गत अधिकतम 5.00 करोड़ रुपये; शीत श्रृंखला योजना और एपीसी योजना के अंतर्गत अधिकतम 10.00 करोड़ रुपये और ओजी योजना के अंतर्गत अधिकतम 15.00 करोड़ रुपये) प्राप्त करने के लिए देश भर से कोई भी व्यक्ति / केंद्रीय और राज्य पीएसयू / संयुक्त उद्यम / एनजीओ / सहकारी / स्व-सहायता समूह (एसएचजी) / किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) / किसान उत्पादक कंपनी (एफपीसी) / सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियां / सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) / साझेदारी फर्म / स्वामित्व फर्म पात्र हैं। इसके अलावा, पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के अंतर्गत सामान्य क्षेत्र के आवेदकों की तुलना में किसानों से बने एफपीओ / एफपीसी को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए गए हैं:

(i) सामान्य क्षेत्र के आवेदक के मामले में मांगी गई अनुदान-सहायता के 1.5 गुना की तुलना में मांगी गई अनुदान-सहायता के बराबर निवल मूल्य होगा।
(ii) सामान्य क्षेत्र के आवेदक के मामले में कुल परियोजना लागत के 20% से कम नहीं की तुलना में कुल परियोजना लागत के 10% से कम नहीं की प्रमोटरों की इक्विटी का निवेश करेगा

(iii) सामान्य क्षेत्र के आवेदक के मामले में कुल परियोजना लागत के 20% से कम नहीं की तुलना में कुल परियोजना लागत के 10% से कम नहीं का सावधि ऋण प्राप्त करेगा
(iv) सामान्य क्षेत्र के आवेदक के मामले में पात्र परियोजना लागत के 35% की तुलना में पात्र परियोजना लागत के 50% की दर से अनुदान-सहायता / सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए पात्र होगा।

दिनांक 31.01.2025 तक, डीए एंड एफडब्ल्यू द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के अनुसार, देश भर में 397.08 एलएमटी की कुल क्षमता के साथ कुल 8760 शीत भंडारण सृजित किए गए हैं। इसका विवरण **अनुबंध-I** में संलग्न है।

पीएमकेएसवाई के अंतर्गत, महाराष्ट्र राज्य में पिछले तीन वर्षों (2022-23 से 2024-25) के दौरान 378.32 करोड़ रुपये की अनुदान-सहायता / सब्सिडी के साथ 69 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है, जिससे 26.84 लाख मीट्रिक टन / प्रति वर्ष की कुल प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता का सृजन हुआ है। महाराष्ट्र राज्य में पिछले तीन वर्षों (2022-23 से 2024-25) के दौरान पीएमकेएसवाई की विभिन्न घटक योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का जिलावार विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

एमओएफपीआई की पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत, पिछले तीन वित्तीय वर्षों 2022-23 से 2024-25 तक 653.93 करोड़ रुपये की स्वीकृत सब्सिडी के साथ 23079 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के लिए ऋण स्वीकृत किए गए हैं। महाराष्ट्र राज्य में पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों (2022-23 से 2024-25) के दौरान स्वीकृत ऋणों का सब्सिडी घटकों के साथ जिलावार विवरण **अनुबंध-III** में दिया गया है।

******

अनुबंध- I

दिनांक 12 फरवरी, 2026 को उत्तर के लिए "महाराष्ट्र में कोल्ड स्टोरेज और फसल कटाई के बाद का बुनियादी ढांचा" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2287 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

देश में दिनांक 31.01.2025 तक सृजित राज्य-वार शीत भंडारण सुविधाएं

क्र.स.	राज्य	परियोजना की संख्या	सृजित कोल्ड स्टोरेज (एमटी में क्षमता)
1	अंडमान और निकोबार	4	2210
2	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	480	1996340
3	अरुणाचल प्रदेश	2	6000
4	असम	43	206742
5	बिहार	316	1490200
6	चंडीगढ़	7	12462
7	छत्तीसगढ	130	577663
8	दिल्ली	97	129857
9	गोवा	29	7705
10	गुजरात	1023	4042770
11	हरियाणा	386	870703
12	हिमाचल प्रदेश	89	181318
13	जम्मू और कश्मीर	92	151833
14	झारखंड	59	242655
15	कर्नाटक	268	912417
16	केरल	202	96655
17	लक्षद्वीप	1	15
18	मध्य प्रदेश	320	1381827
19	महाराष्ट्र	665	1219851
20	मणिपुर	2	4500
21	मेघालय	4	8200
22	मिजोरम	3	4071
23	नागालैंड	5	8150
24	उड़ीसा	182	579321
25	पुडुचेरी	4	185
26	पंजाब	770	2604206
27	राजस्थान	190	648908
28	सिक्किम	2	2100
29	तमिलनाडु	188	399690
30	तेलंगाना	116	617131
31	त्रिपुरा	14	46354
32	उत्तर प्रदेश	2488	15096476
33	उत्तराखंड	62	206848
34	पश्चिम बंगाल	517	5952997
	कुल	**8760**	**39708360**

(स्रोत: विपणन और निरीक्षण निदेशालय (डीएमआई) 2009 तक, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी), राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम), उत्तर पूर्व और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन (एचएमएनईएच)) और एमओएफपीआई)

अनुबंध-II

दिनांक 12 फरवरी, 2026 को उत्तर के लिए "महाराष्ट्र में कोल्ड स्टोरेज और फसल कटाई के बाद का बुनियादी ढांचा" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2287 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

महाराष्ट्र राज्य में पिछले तीन वर्षों (2022-23 से 2024-25) के दौरान पीएमकेएसवाई की विभिन्न घटक योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का जिला-वार विवरण

क्र.स.	जिला	वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के अंतर्गत अनुदान-सहायता / सब्सिडी के साथ अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या									
		सीईएफपीपीसी योजना		शीत श्रृंखला योजना		एफटीएल योजना		एपीसी योजना		ओजी योजना	
		संख्या	राशि (करोड़ रु.में)	संख्या	राशि (करोड़ रु.में)	संख्या	राशि (करोड़ रु.में)	संख्या	राशि (करोड़ रु.में)	संख्या	राशि (करोड़ रु.में)
1.	अहमदनगर	3	14.98	2	18.02	0	0	0	0	0	0
2.	औरंगाबाद	4	15.14	2	12.43	1	5.23	0	0	0	0
3.	बीड	2	10.00	2	20.00	0	0	0	0	0	0
4.	भंडारा	0	0	0	0	0	0	1	10.00	0	0
5.	धुले	1	5.00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	हिंगोली	1	5.00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	जलगांव	2	1.36	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	कोल्हापुर	2	6.79	1	9.03	0	0	0	0	0	0
9.	नागपुर	4	15.97	1	5.00	1	8.01	1	10.0	1	10.00
10.	नंदुरबार	1	1.73	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	नासिक	8	39.93	2	12.29	0	0	0	0	1	9.5
12.	नवी मुंबई	0	0	0	0	1	5.32	0	0	0	0
13.	पुणे	1	5.00	1	8.46	0	0	1	10.0	1	7.00
14.	सांगली	2	3.89	1	5.00	0	0	0	0	0	0
15.	सतारा	9	42.00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	सोलापुर	0	0	1	9.52	0	0	1	10.0	1	5.00
17.	ठाणे	0	0	0	0	3	15.08	0	0	0	0
18.	वसीम	2	6.64	0	0	0	0	0	0	0	0
		42	**173.43**	**13**	**99.75**	**6**	**33.64**	**4**	**40.0**	**4**	**31.5**

अनुबंध-III

दिनांक 12 फरवरी, 2026 को उत्तर के लिए "महाराष्ट्र में कोल्ड स्टोरेज और फसल कटाई के बाद का बुनियादी ढांचा" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2287 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

महाराष्ट्र राज्य में पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान सब्सिडी घटक के साथ स्वीकृत ऋणों का जिला-वार विवरण:

क्र.स.	जिला का नाम	स्वीकृत ऋणों की संख्या	सब्सिडी (करोड़ रुपये में)
1	अहिल्यानगर	1426	63.13
2	अकोला	437	11.38
3	अमरावती	932	11.37
4	बीड	133	5.72
5	भंडारा	341	6.83
6	बुलढाणा	937	31.17
7	चंद्रपुर	724	5.29
8	छत्रपति संभाजीनगर	1836	23.41
9	धाराशिव	432	9.10
10	धुले	545	10.92
11	गढ़चिरौली	293	1.95
12	गोंदिया	648	6.22
13	हिंगोली	193	5.48
14	जलगांव	966	31.91
15	जलना	548	10.31
16	कोल्हापुर	946	61.31
17	लातूर	353	6.72
18	मुंबई	6	0.21
19	मुंबई उपनगरीय	45	0.96
20	नागपुर	717	13.59
21	नांदेड़	344	11.01
22	नंदुरबार	510	10.60
23	नासिक	1205	50.82
24	पालघर	304	6.54
25	परभणी	302	6.71
26	पुणे	1129	62.45
27	रायगढ़	234	4.42
28	रत्नागिरि	380	13.99
29	सांगली	1228	39.61
30	सतारा	939	43.35
31	सिंधुदुर्ग	554	14.81
32	सोलापुर	986	41.21
33	ठाणे	347	10.45
34	वर्धा	871	7.25
35	वसीम	477	6.92
36	यवतमाल	811	6.82
	सकल योग	**23079**	**653.93**

*****